दिनांक 07.4.2006

e|[; p|uko vk;|Dr] egkn;
fuokpu vk;kx & Hkkjr ljdkj
fuokpu lnu] ubl fnYyh

fo"k;% dkxzl }kjk viuh jkT; ljdkjk dh ek/;e l ^^pukoh foKkiu dj pukoh jkT;k e pquko vkpkj lafgrk dk mYya?ku dk Bkl iek.k dk lca/k e%

महोदय,

कांग्रेस पार्टी, केन्द्र सरकार एवं कांग्रेस की राज्य सरकारें पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में सरकारी धन का दुरूपयोग कर ''सरकारी विज्ञापनों'' के माध्यम से चुनाव प्रचार कर रही हैं। पिछले 5 अप्रैल 2006 को देश के लगभग सभी समााचार पत्रों में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के बड़े–बड़े चित्रों के साथ हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने ''आपका साथ, हमारा प्रयास – होगा विकास'' नाम से आधे पेज का विज्ञापन छापा, यह विज्ञापन हिन्दू, टाइम्स आफ इंडिया, इन्डियन एक्सप्रेस, एशियन ऐज, स्टेट्समैन, हिन्दुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ जैसे उन तमाम समाचार पत्रों में छपा है जिनका तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, केरला, प0 बंगाल एवं असम में बहुत अच्छा सर्कुलेशन है और सीधे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं।

यह ''विज्ञापन'' सरकारी खर्च से पांचों चुनावी राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित करने, लुभाने के लिए किया है। जिसमें की कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह (हाथ) का प्रर्दशन करते दिखाया गया है, जबकि श्रीमती सोनिया गांधी वर्तमान में ना तो एनएसी की अध्यक्षा हैं ना ही तथाकथित उस कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थी।

चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल 2006 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा के उप–चुनाव की अधिसूचना जारी की है, जिसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू की है, यह विज्ञापन रायबरेली में प्रसारित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों अमर ऊजाला, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्रों में भी श्रीमती सोनिया गांधी के चित्रों के साथ छापा गया है।

यह विज्ञापन आर्दश चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 7 एवं उसके सब पैरा 4 में स्पष्ट निर्देश है किः

"The party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular –"

(iv) "Issue of advertisement at the cost of public exechequer in the newspapers and other media and the misues of official mass media during the election period for partisasn coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided."

अतः आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी, हरियाणा सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ''आर्दश चुनाव आचार संहिता'' के उल्लंघन के ठोस प्रमाण को देखते हुए निर्वाचन कानूनों की धारा 16 ए एवं आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत तत्काल कड़ी कार्यवाई करें।

¼e|[rkj vCckl udoh½ **¼dyjkt feJ½**

¼i|dk'k tkoMsdj½ **¼';ke tkt½**

¼jkekd".ku½